



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल, अनूपपुर (म०प्र०)

E-mail : dfotanppur@mp.gov.in Ph. No. (07659) 222038

क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 1932

अनूपपुर, दिनांक 16/03/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल।

- विषय :-** अनूपपुर जिले के अंतर्गत वन मण्डल अनूपपुर में अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 1x660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना-इकाई के उपसंगीय निर्माण कार्य हेतु 6.171 हे. वनभूमि कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग-2, म०प्र० पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, चचाई को उपयोग पर देने बावत्।
- संदर्भ :-**
- 1- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6एम. पी.बी.009 / 2022-बी.एच.ओ. दिनांक 01.02.2024.
 - 2- आपका पत्र क्रमांक/एफ-4 / 41 / 2022 / 10-11 / 844 दिनांक 06.02.2024
 - 3- कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग-दो अ.ता.वि.ग.चचाई का पत्र क्रमांक 544 दिनांक 13.02.2024.

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.02.2024 एवं संदर्भित पत्र क्रमांक-2 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार संदर्भित पत्र क्रमांक-3 से बिन्दु क्रमांक-3 की जानकारी इस कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई है। बिन्दु क्रमांक-1 व 2 की जानकारी वन मण्डल स्तर से तैयार कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर समर्पित है।

क्र.	चाही गई जानकारी	रिमाक
1-	The comments on compliance of previous approval of dated 08-06-2006, condition-23A ब और स has not been furnished by the State Govt. Hence, the status of compensatory afforestation and the mutation/ notification of the said area is required to be furnished.	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र दिनांक 08.08.2006 के बिन्दु क्रमांक-2अ के अनुक्रम में आवेदक संस्थान द्वारा ग्राम चचाई में उपलब्ध कराई गई 16.076 हे. (शामिल खसरा क्रमांक 230, 231, 232, 247 / 1 एवं 2, 248, 249, 260 रकवा 3.67 हे.) गैर वनभूमि में वर्ष 2011 में विभिन्न प्रजाति के 37500 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है, जिनमें से वर्तमान में 30054 पौधे जीवित पाए गए हैं। माह फरवरी वर्ष 2024 में पौधों जीवितता प्रतिशत 80.14 है (वृक्षारोपण मूल्यांकन सत्यापन पत्रक संलग्न है)। बिन्दु क्रमांक-2ब के अनुक्रम में मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक-एफ-25-70-2016-10-3 दिनांक 20 जुलाई 2016 से अधिसूचना जारी की गई है (छायाप्रति संलग्न)। बिन्दु क्रमांक-2स के अनुक्रम में नोडल अधिकारी को अधिसूचना प्रति प्रेषित कर दी गई है।
2-	The DFO should also inspect the previously approved area and ensure that no violation of FA, 1980 has done.	आवेदक संस्थान को पूर्व में हस्तांतरित की गई वनभूमि का स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 16.03.2024 को किया गया है जिसमें आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

3-	A consolidated layout showing component wise details of the previously diverted forest and (3.670 ha) is required to provide in which the area proposed for diversion (6.171 ha) may also be shown. The KML for the same may also be furnished for more clarity.	बिन्दु क्रमांक-3 की आवेदक संस्थान के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/544 दिनांक 13.02.2024 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुई है जानकारी की छायाप्रति एवं KML फाईल ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।
----	--	---

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर

अनूपपुर, दिनांक 16/03/2024

पृ0क्रमांक/मा.चि./2024/ 1933
प्रतिलिपि :-

मुख्य वन संरक्षक, वनवृत्त शहडोल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर